**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 992/2024

अनवान : –

1. नागर मल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

**बनाम्**

1. दीनदयाल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 28/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 612/599 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि हनुमान पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र रूपराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता हनुमान ने अपनी स्वयं की अर्जित उक्त भूमि की वसीयत अपने पुत्रगण नागरमल, दीनदयाल के पक्ष में दिनांक 10.02.2022 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दी। वादी के पिता हनुमान का दिनांक 03.11.2023 को देहान्त हो चुका है। मुताबिक वसीयत के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 612/599 के ख0न0 472/1 की 5.0580 हैक्ट भूमि में बहिब खातेदार काश्तकार है एवं मुताबिक वसीयत वाद भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 पे[illegible] ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद [illegible] साक्ष्य चित्रप्रति वसीयतनामा दिनांक 10.02.2022, मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमान तथा वसीयत के गवाहान श्री[illegible]कत अति पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गन्नी खां जाति दमामी साकिन मन्दरपुरा व कालुराम पुत्र चानणराम जाति कुम्हार साकिन मन्दरपुरा ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र रूपराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता हनुमान ने अपनी स्वयं की अर्जित उक्त भूमि की वसीयत अपने पुत्रगण नागरमल, दीनदयाल के पक्ष में दिनांक 10.02.2022 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दी। वादी के पिता हनुमान का दिनांक 03.11.2023 को देहान्त हो चुका है। मुताबिक वसीयत के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 612/599 के ख0न0 472/1 की 5.0580 हैक्ट भूमि में बहिब खातेदार काश्तकार है एवं मुताबिक वसीयत वाद भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 612/599 की कुल 5.0580 हैक्ट हनुमान पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हनुमान का देहान्त हो चुका है। वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत हनुमान ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.02.2022 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दो गवाहन श्री नजाकत अति पुत्री गन्नी खां जाति दमामी साकिन मन्दरपुरा व कालुराम पुत्र चानणराम जाति कुम्हार साकिन मन्दरपुरा के समक्ष नोटेरी करवायी थी। वसीयत के गवाहान श्री नजाकत अति पुत्री गन्नी खां जाति दमामी साकिन मन्दरपुरा व कालुराम पुत्र चानणराम जाति कुम्हार साकिन मन्दरपुरा ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत हनुमान ने वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में तस्दीक करवाई थी उक्त वाद भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद नही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 612/599 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में मृतक हनुमान पुत्र रूपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested

## पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 992/2024

अनवान : –

1. नागर मल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. दीनदयाल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 992 सन 2024 निर्णय दिनांक** 28/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 612/599 की कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में मृतक हनुमान पुत्र रूपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested